संख्या-1/2015/बी-2-872/दस-2015-1/2014
नगर विकास अनु0-9 की पत्रा.सं.-220 ज/10

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागर स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन हेतु 2 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित आपके पत्र संख्या-8/3361-2110/2प्रतिशत मूल्यांकन/2014-15 दिनांक 09 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आपके प्रस्ताव के अनुसार नागर स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को प्रोत्साहन की 2 प्रतिशत धनराशि रूपये 115,50,00,000/- में से **रूपये 33,18,73,773/- (रूपये तैंतीस करोड़ अटठारह लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिहत्तर मात्र)** की धनराशि निम्नानुसार दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं	निकाय का नाम	निकायों की संख्या	प्रोत्साहन की धनराशि
1	नगर निगम	05	15,63,58,818
2	नगर पालिका परिषदें	45	11,62,94,640
3	नगर पंचायतें	102	5,92,20,315
	योग	152	33,18,73,773

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का पालन करते हुये धनराशि को आवंटित किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण सम्बन्धित निकाय द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा तथा प्रस्तुत किये जाने वाले देयक को नगर निगमों हेतु संबंधित मण्डलायुक्त एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) धनराशि को आहरित कर राज्य वित्त आयोग की गाइड लाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(4) निकायों की यदि कोई समायोजन की धनराशि अवशेष हो तो सम्बन्धित निकाय की धनराशि से समायोजन के पश्चात, अवशेष धनराशि निकायों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार आवंटित की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ उनसे प्राप्त करेंगे तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेगें ।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

1	नगर निगमों हेतु	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-191-नगर निगमों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	15,63,58,818
2	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	11,62,94,640
3	नगर पंचायतों हेतु	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	5,92,20,315
		योग	33,18,73,773

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या बी-2-872(1)/दस-2015-1/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- नगर विकास अनुभाग-9
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
4- विशेष सचिव, वित्त संसाधन (राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in